अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः–150 / 2013

महेन्द्र यादव वगैरह –– अपीलार्थीगण

वनाम

तेलिया देवी वगैरह –– रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्तागण के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश दिनांकः 21.12.2012 ई० अंदर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या– 355 / 12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय में प्रस्तुत वाद रेस्पोण्डेन्ट्स के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के जनता दरबार में दिए गये आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत विवादित भूमि का विवरण निम्नलिखित हैः–

मौजाः– गम्हरिया

खाता संख्या	खेसरा	रकवा
169 (पु०) / 90 न०	366 पु० / 499 न०	61 डी०
	22 पु० / 18 न०	16 डी०
	9 पु० / 8 न०	18 डी०
	7 पु० / 6 न०	09 डी०
	414 पु० / 603 न०	16 डी०
	416 पु० / 605 न०	12 डी०
	548 न०	16 डी०

वाद पुकारा गया। अपीलकर्त्तागण के विज्ञ अधिवक्ता को नामांकन बिन्दु पर सुना। बहस के दौरान अपीलकर्त्ता का कथन है कि विवादित भूमि से संबंधित वाद टी०सी० संख्याः 8 / 96 माननीय सब–जज, मधेपुरा के न्यायालय में उभय पक्षो के बीच लंबित है तथा अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की कंडिकाः

10 के अनुसार अगर विवादित भूमि से संबंधित कोई वाद किसी सक्षम न्यायालय में लंबित है तो भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वाद नहीं चल सकता।

अपीलकर्त्ता/विपक्षीगण का यह भी कथन है कि अपीलकर्त्ता के मौरीश कारी मंडल, फनी मंडल, वो वेनी मंडल पे०– रामी मंडल सहोदर भाई थे वो कारी मंडल सन् 1934–35 ई० में वजरिऐ आपुसी इन्तजाम के आपस में विभक्त हो गए तथा सभी जमीन का बंटवारा वजरिये आपुसी इंतजाम के कर लिए वो बाद बंटवारा के वजरिये निबंधित केबाला दस्तावेज दिनांकः 19.04.1938 ई० एवं दिनांकः 12.03.1962 को अपने खास जरसम्मन रसीक मंडल एवं जानकी मंडल वो कल्लर मंडल को अदाय कर अपने नाम रकवाः 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर अलावे दीगर जमीन कारी मंडल हासिल किये जिसपर खास हक दखल कब्जा कारी मंडल का हुआ जिससे रेसपोण्डेन्ट्स को कोई हक सरोकार नहीं रहा और ना है।

अपीलकर्त्ता/विपक्षी का यह भी कथन है कि कारी मंडल को दो लड़का नेपल मंडल वो भद्दी मंडल हुए वो नेपल मंडल के वैधिक उत्तराधिकारी अपीलकर्त्ता हैं।

अपीलकर्त्ता का यह भी कथन है कि अधिकार वाद संख्याः 8/96 मेरे पिताजी नेपल मंडल के द्वारा दायर किया गया जिसमें एक कीता निशेधाज्ञा आवेदन दाखिल किया गया जिसमें रेस्पोण्डेन्ट्स के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया वो बाद उभयपक्षों के सुनवाई के अपीलकर्त्ता के प्राईमाफेशी केश को मानते हुए निशेधाज्ञा आदेश दिनांकः 23.02.1998 को अपीलकर्त्ता के पक्ष में पारित किया गया जिसमें रेस्पोण्डेन्ट्स को निर्देश दिया गया कि न्यायालय के अनुमति के बिना विवादी भूमि के किसी भी अंश की बिक्री नहीं करेंगे और ना ही उसके स्वरूप में कोई परिवर्त्तन करेगें।

अपीलकर्त्ता लिखित बहस के माध्यम से इस मोकदमा के रेस्पोण्डेन्ट्स पर नोटिश गजट प्रकाशन हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के कतरण उपलब्ध कराते हुए यह भी कथन करते हैं कि उक्त अधिकार वाद संः– 8/96 किसी कारणवश खारिज हो गया जिसके पुर्नजीवित हेतु अपीलकर्त्ता मिस० केश नं०: 7/11 न्यायालय श्रीमान सब जज तृतीय, मधेपुरा के न्यायालय में दायर किये जो अभी तक लंबित है। ऐसी स्थिति में रेसपोण्डेन्ट्स का यह कहना कि टी०एस० 8/96 खारीज हो गया, गलत प्रतीत होता है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का नामांकन बिन्दु पर बहस सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। विवादी जमीन से संबंधित मामला सिविल न्यायालय में लंबित है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील वाद पोषणीय नहीं है। उक्त वाद में सिविल कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया जायेगा वहीं निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा। इस अपील आवेदन को नामांकन बिन्दु पर ही अस्वीकृत किया जाता है। इसके साथ ही अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/9/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

9/9/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा